न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 181/2023
अनवान : –

1. महावीर पुत्र धनपत जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. आदराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. बनवारीलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
5. मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
6. सुभाष पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
7. साहबराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 20/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 206 की 5.1980 हैक्ट, ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एवं गैरसायल स0 6 व 7 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जिसमें से ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट भूमि ग्राम कर्मशाना की आबादी के चिपते हुए है।

खसरा न0 208 की भूमि में सायलान व अन्य करीबन 10 व 11 लोगो के मकानात बने हुए है जो करीब 70 पूर्व बने हुए है तथा सायलान व अन्य लोगो के ग्राम पंचायत गोरखाना से पटटे बने हुए है तथा पक्के निर्माण कर रखे है एवं ग्राम पंचायत द्वारा सड़के बनी है एवं विधुत कनेक्शन भी है। उक्त भूमि कृषि भूमि न होकर पूर्णतया आबादी में तब्दील हो चुकी है तथा गैरसायलान ने भविष्य में उक्त भूमि में बेदख[illegible] व उन्हें रजिस्ट्री अथवा इकरारनामा उनके पक्ष में कराने का करार किया [illegible] सोहनलाल वल्द मनफुल जाति जाट ने नुमाईश व फर्जी एवं पोशिदा तौर [illegible] फर्जी आवंटन दिनांक [illegible]09.1974 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:25:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवाकर उसे अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि आवंटन से पूर्व ही सायलान व अन्य लोगो के रिहायशी मकान बने हुए थे उक्त आवंटन सायलान से पौशिदा रखा गया कब्जे बाबत कोई रिपोर्ट नही ली गई पत्रावली में मुर्तिब नही की गई बिना पत्रावली मुर्तिब किए कब्जा धारियों को नोटिस दिये बिना सुनवाई के अवसर दिये नुमायशी व शुन्य आवंटन के आधार पर भूमि गैरसायलान ने अपने नाम दर्ज करवा ली इसलिए सायलान आवंटन आदेश दिनांक 15.9.1974 शुन्य होने के आधार पर जो राजस्व रिकार्ड में वर्तमान गैरसायलान के वाद भूमि का इन्द्राजात है उसे इग्नोर करा पाने के अधिकारी है। ख0न0 208 की भूमि पूर्णतया आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। गैरसायलान सायलान को बेदखल करने पर आमाद है तथा मकानात तोड़ने की धमकी आदि देने लगे है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी। अतः गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की गैरसायलान रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट भूमि से सायलान को बेदखल न करे एवं मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की उक्त भूमि मे से प्रार्थीगण को बेदखल न करे एवं प्रार्थीगण के निर्मित मकान में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ न करे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का जवाब पेश किया की उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज है तथा न तो ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा पटटे बने है एवं नही ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा पक्की सड़क बनी है उक्त भूमि सोहनलाल पुत्र मनफुल को दिनांक 12.11.1975 को आवंटित हुई थी राजस्व रिकार्ड में उत्तरदाता के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है। न तो मकान बने है और न ही विधुत व पानी का कनेक्शन है। उक्त भूमि की भू0 प्रबन्धन विभाग द्वारा टीम गठित कर पैमाईश कर वाद ग्रस्त भूमि के निशानात दिये गये है। गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सायलान, गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:25:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 206 की 5.1980 हैक्ट, ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एवं गैरसायल स0 6 व 7 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है । अप्रार्थीग्ण का कथन है कि उक्त वाद भूमि दिनांक 12.11.75 को सोहनलाला को आवंटित हुई थी आवंटन प्रति संलग्न है तथा उक्त भूमि मे न तो मकान बने है न पटटा जारी हुआ है और नही विधुत व पानी के कनेक्शन है जबकि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा जारी पटटो की चित्रप्रति पेश की गई है एवं सरपंच ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिसके मुताबिक प्रार्थीगण उक्त भूमि में मकानात बनाकर निवास कर रहे है एवं बिजली व पानी के कनैक्शन भी है प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित चित्रप्रति प्रस्तुत की है जिसके मुताबिक अनवान आदराम बनाम बनवारी आदि प्रकरण स0 05/2023 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू राजस्व (कृषि भूमि हेतु) आंवटन निमय 1970 आवंटन दिनांक 12.11.1975 निरस्त करवाने बाबत जैरकार है। उक्त विवेचन स्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थीगण अगर अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीग्ण के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट भूमि मे ताफैसला वाद प्रार्थीगण को बेदखल ने करे एवं प्रार्थीगण के निर्मित मकान मे किसी प्रकार की तोड़ फौड़ न करे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/6/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:25:25 IST
Reason: SelfAttested